रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940
No. 226] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 353(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का पंजाब अधिनियम सं. 32) को निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) में "पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014" शब्दों और अंकों से पहले "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 2 में "पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965" शब्दों और अंकों से पहले "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/1/2017-यूटीएल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव

उपाबंध

पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का पंजाब अधिनियम सं. 32)

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए एक

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 में, धारा 9-क की उपधारा (1) में "दो रुपए" और "चार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "पांच रुपए" और "बीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे। **1965 का पंजाब अधिनियम 17 की धारा 9-क में संशोधन।**

एच.पी.एस.महल,
सचिव पंजाब सरकार,
विधिक और विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2014 (Punjab Act No. 32 of 2014), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of Section 1 of the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2014 (hereinafter referred to as the said Act), after the words and figures "the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2014", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

2. In section 2 of the said Act, after the words and figures "the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965" the words "as in force in the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

[F. No. U-11020/1/2017-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy.

ANNEXURE

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2014

(Punjab Act No. 32 of 2014)

AN

ACT

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. *(1)* This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2014. *Short title and commencement.*

(2) It shall come into force at once.

2. In the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in section 9-A in sub-section *(1)*, for the words "two rupees" and "four rupees" the words "five rupees" and "twenty rupees" shall, respectively, be substituted. *Amendment in section 9-A of Punjab Act 17 of 1965.*

H.P.S. MAHAL,
Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.12 19:43:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.